आगे दिनांक .....

02 11/22 पत्रावली पेश हुई वकील वादी व प्रतिवादी को नोटिस तामील करवाने हेतु बार-बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी नोटिस तामील नहीं करवाने पर पत्रावली आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारीज की जाती है पत्रावली कैशल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2023.01.03 13:14:56 IST
Reason: SelfAttested